


राजस्थान सरकार
कार्मिक (ग-2) विभाग

क्रमांक प11(2)का/ग-2/2016

जयपुर 13.04.2017

सूचना

वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुसार राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के माह अप्रैल देय मई 2017 के वेतन से व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना हेतु वर्ष 2017-18 के लिए प्रति कर्मचारी 220 रुपये प्रीमियम व सेवा कर की कटौती की जानी है। अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एस आई पी एफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कर डी.डी.ओ. को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रस्ताव पत्र अग्रेषित नहीं होने की स्थिति में माह अप्रैल 2017 का वेतन बनाया जाना सम्भव नहीं होगा। समस्त कार्मिक उक्त प्रक्रिया दिनांक 20.04.2017 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।


वित्तीय सलाहकार
कार्मिक (ग)विभाग


निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-लेखा/सा.दु.बीमा/2017/1374

दिनांक:-20.04.2017

प्रतिलिपि:-

1. समस्त यूनानी चिकित्साधिकारी/नर्स- कम्पाउण्डर/ परिचारक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक निदेशक